



भूलेख - खतौनी  
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्राप्ते)

05/August/2025 08:33:55 AM

जनपद : आगरा

तहसील : आगरा

ग्राम : ककुआ

ग्राम कोड : 124621

फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से  
30 जून, 2025)

खाता संख्या : 00408

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति- संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू- राजस्व

754	1) आगरा विकास प्राधिकरण आगरा / - / -	1) राजस्व न्यायालय (तहसीलदार) / T201801010102997 / 23-10-2019 / विक्रय	1404 फ0	<b>754</b> <b>(1246210754000012)</b>	0.8910	1) -	1) 0.4455	17.75
	2) राजवीरसिंह / मानिकचन्द्र / नि. ग्राम	2) राजस्व निरीक्षक / 202512462100002 / 10-01-2025 / दुरस्ती (संशोधन से)				2) 1/2	2) 0.2267	
	3) श्रीमती आशा देवी / योगेन्द्र सिंह / ग्राम ककुआ तह0 व जिला आगरा	3) अन्य / T202501010102315 / 08-03-2025 / विक्रय				3) -	3) 0.2188	

**0.8910**

कुल गाटे : एक    कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव आठ नौ एक शून्य (हेक्टेयर)    कुल भू-राजस्व : एक सात दशमलव सात पांच रुपये    कुल अंश का क्षेत्रफल : शून्य दशमलव आठ नौ एक शून्य (हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया		दर्ज किया गया		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	नाम/पिता-पति- संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल(हे०)	नाम/पिता- पति- संरक्षक- प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल(हे०)
1) राजस्व न्यायालय (तहसीलदार) / T201801010102997 / 23-10-2019 / विक्रय / ASHOK KUMAR () / 06-02-2024	1.1) राजवीरसिंह/ मानिकचन्द्र/नि. ग्राम ( : 0.2272)  2.1) राजवीरसिंह/ मानिकचन्द्र/नि. ग्राम ( : 0.0000)	754  (1246210754000012)	1.1) 0.2188  2.1) 0.2272  2.2) 0.4450  2.3) 0.2188	1.1) श्रीमती आशा देवी / योगेन्द्र सिंह / ग्राम ककुआ तह० व जिला आगरा	754  (1246210754000012)	1.1) 0.2188  2.1) 0.2267  2.2) 0.4455  2.3) 0.2188

2) राजस्व निरीक्षक / 202512462100002 / 10-01-2025 / दुरस्ती (संशोधन से) / ASHOK KUMAR () / 10-01- 2025	2.2) अशोक बाबू/ मानिकचन्द्र/नि. ग्राम (: 0.0000)	3.1) 0.4455	2.1) राजवीरसिंह / मानिकचन्द्र / नि. ग्राम	3.1) 0.4455
3) अन्य / T202501010102315 / 08-03-2025 / विक्रय / ASHOK KUMAR () / 01-04-2025	2.3) श्रीमती आशा देवी/योगेन्द्र सिंह/ ग्राम ककुआ तह0 व जिला आगरा (: 0.0000)		2.2) अशोक बाबू/ मानिकचन्द्र / नि. ग्राम	
	3.1) अशोक बाबू/ मानिकचन्द्र/नि. ग्राम (: 0.0000)		2.3) श्रीमती आशा देवी / योगेन्द्र सिंह / ग्राम ककुआ तह0 व जिला आगरा	
			3.1) आगरा विकास प्राधिकरण आगरा / - / -	

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

**(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))**

1) Aryavart Bank/22094/21-02-2024/190000.00/146007662024013122094/अशोक बाबू(मानिकचन्द्र)

**(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :****अभ्युक्ति :**

- 1) 1431फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त बैंक शाखा ककुआ आगरा के आदेश दि० 10-04-24 के अनुसार अशोक बाबू पुत्र मानिक चन्द्र का खाता भार मुक्त किया जाता है ह०आर०के० 5669 (डिजिटल हस्ताक्षर : ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR) / 15-04-2024)
- 2) 1422फ:- व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त शाखा ककुआ आगरा के आदेश दि० 16-12-14 के अनुसार राजवीरसिंह पुत्र मानिक चन्द का खाता 150000/- में बन्धक किया जाता है ह०आर०के० 30-01-15 (डिजिटल हस्ताक्षर : MAN PAL SINGH (REVENUE INSPECTOR) / 18-11-2019)
- 3) 1422फ:- व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त शाखा ककुआ आगरा के आदेश दि० 20-01-15 के अनुसार अशोक बाबू पुत्र मानिक चन्द का खाता 150000/- में बन्धक किया जाता है ह०आर०के० 28-02-15 (डिजिटल हस्ताक्षर : MAN PAL SINGH (REVENUE INSPECTOR) / 18-11-2019)
- 4) 1426फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त बैंक शाखा ककुआ आगरा के आदेश दि० 05-08-19 के अनुसार राजवीर सिंह पुत्र मानिकचन्द का खाता भार मुक्त किया जाता है ह०आर०के० 16-08-19/6379 (डिजिटल हस्ताक्षर : MAN PAL SINGH (REVENUE INSPECTOR) / 18-11-2019)

**पूर्व आदेशों का विवरण :**

- 1) 1427फ व आदेश श्रीमान तह०महो० सदर आगरा के वाद सं० टी201801010102997 दि० 23-10-19 के अनुसार गाटा संख्या 754 रकवा 0.8910हे० विक्रेता के नियत अंश यानि रकवा 0.4455हे० मे से आंशिक रकवा 0.2188हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता राजवीर सिंह पुत्र मानिक चन्द निवासी ग्राम ककुआ तह० व जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता श्रीमती आशा देवी पत्नी योगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम ककुआ तह० व जिला आगरा का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा दर्ज हो ह०आर०के० 23-10-19
- 2) 1427फ व आदेश श्रीमान तह०महो० सदर आगरा के वाद सं० T201901010103283 दि० 04-07-20 के अनुसार गाटा संख्या 754 रकवा 0.8910हे० विक्रेता के नियत 1/2 भाग यानि रकवा 0.4455हे० मे से आंशिक रकवा 0.2305हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता राजवीर सिंह पुत्र मानिक चन्द निवासी ग्राम ककुआ तह० व जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व० जीवन लाल निवासी ग्राम व पोस्ट ककुआ तह० व जिला आगरा का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा दर्ज हो ह०आर०के० 04-07-20

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के बाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही ) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

**Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.**

अप्रमाणित प्रति



न्यायालय :- तहसीलदार  
मण्डल : आगरा , जनपद : आगरा , तहसील : आगरा  
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202501010102315  
वाद संख्या :- 2315/2025  
आगरा विकास प्राधिकरण बनाम अशोक बाबू  
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा :- 34  
" अंतिम आदेश "  
आदेश तिथि :- 08/03/2025

वाद सं० ज्202501010102315/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम अशोक बाबू

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 754 रकवा 0.8910हे० में से 1/2 भाग यानि रकवा 0.4455हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने अशोक बाबू से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, शपथपत्र एवं लेखपाल/रा०नि०कार्यालय की आख्या सहित नकल खतौनी दाखिल हुई है। विक्रेता ने गाटा संख्या 754 रकवा 0.8910हे० में से 1/2 भाग यानि रकवा 0.4455हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं० 00408 के गाटा संख्या 754 रकवा 0.8910हे० में से 1/2 भाग यानि रकवा 0.4455हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता अशोक बाबू पुत्र मानिक चन्द्र निवासी ग्राम ककुआ व तह० जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण



आगरा का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा प्रतिफल 26751733/-रू० आवेदन संख्या-202500766005220 दिनांक 25.01.2025 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

**Disclaimer :**

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"